न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर
पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र नम्बरः—36/2016 **दायरा दिनांक 20.06.2016**

सुरजा राम पुत्र कुशलाराम जाति मेघवाल निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू राज0
—प्रार्थी

बनाम

तिलोका राम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरू राज0।
— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवागमन का रास्ता दिलवाने बाबत।

निर्णय दिनांक 23.09.2016

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी. एक्ट के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक खेत खसरा नम्बर 1444/132 वाके रोही साण्डवा तह. बीदासर जिला चुरू में स्थित है। जिसमें आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी, अपने पडौसी अप्रार्थी तिलोकाराम के खेत खसरा नम्बर 1342/133 में से रास्ता चाहता है।

यह कि प्रार्थी मात्र पगडंडी से होते हुऐ पडौसी खातेदार तिलोकाराम के खेत में से होकर 30—40 वर्षों से आता जाता रहा है। परन्तु वर्तमान में पडौसी द्वारा आवागमन नहीं करने दिया जा रहा है। प्रार्थी के आवागमन हेतु वर्तमान में कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जिस प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो कि वोह न्यायालय से अपने खेत में जाने हेतु आवागमन का रास्ता की घोषणा करवाकर रास्ते का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में करावें। आदि निवेदन कर रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बीदासर से मौका जांच रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार बीदासर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट गिरदावर साण्डवा से तैयार करवाई गई, गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी को सूचना हो चुकी है व अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बीदासर द्वारा वांछित जांच रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक भू.अ./16/2602 दिनांक 12.08.2016 से प्रेषित की। जो शामिल मिशल है। तहसीलदार बीदासर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी पूर्व में खसरा नम्बर 1342/133 में से होकर गुजर रहे कटानी रास्ते से पश्चिम की तरफ अपने खेत खसरा नम्बर 1444/132 मे प्रवेश करना बताया परन्तु आज दिन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उक्त रास्ता बन्द है। प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। पक्षकारान रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेने पर सहमत नहीं है। कटाणी रास्ते से प्रार्थी के खसरा भूमि के प्रवेश तक कुल लम्बाई 13 गंठा तथा चौडाई 03 गंठा बनती हैं इसके अनुसार 39 वर्ग गंठा भूमि बनती है। धारा 251 ए के तहत नियमानुसार कुल भूमि रास्ता हेतु 02 बिश्वा (253 वर्ग मीटर) बनती है। साण्डवा की डी.एल.सी. की दर की (02 बिश्वा भूमि की) दो गुना राशि 6867/–रू (अखरे छः हजार आठ सौ सडसठ रूपये) बनती है। उक्त कटाणी रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम कटाणी रास्ता/सडक नहीं है तथा उक्त रास्ता दिए जाने का प्रस्ताव दिया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया व तहसीलदार बीदासर की मौका जांच रिपोर्ट का भली–भांति अवलोकन किया गया। तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाता है किः–

01. तहसीलदार बीदासर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार खेत खसरा नम्बर 1342/133 तादादी 03–00 बीघा में लाल साहयी से दर्शाया गया रास्ता पूर्वी सींव के सहारे खसरा नम्बर 1444/132 तादादी 17–14 बीघा में जाने के लिए 13 गंठा लम्बा व 03 गंठा चौडा (कुल 02 बिश्वा) भूमि का प्रतिकर 6867/–रू (अखरे छः हजार आठ सौ सडसठ रूपये) प्रार्थी से जरीये डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त कर, अप्रार्थी को सौंप कर नया रास्ता कायम किया जावें तथा इसी अनुरूप नक्शे में अंकन किया जावे।

02. तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1342/133 तादादी 03–00 बीघा में से रास्ते के रूप में काम आ रही भूमि तादादी 02 बिश्वा कम करते हुए रास्ते का प्रथक से बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जावे तथा भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ते का अंकन करते हुए रास्ते को (रास्ते व पगडंडिया) सिवाय चक दर्ज की जावे। तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट को संलग्न रास्ता प्रचलित स्याही से दर्शाया जावे। रिपोर्ट नक्शा मौका निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

का। ५।२। ६।